THE UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD. (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) ACT, 1992

[U. P. ACT No. 12 OF 1992]

[As passed by the U. P. Legislature]

AN

ACT

to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd., in relation to the undertaking known as Feroz Gandhi Unchahar Thermal Power Project in district Rae Bareli in the interest of national power development and to commence activities regarding the extension project and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS the Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd., a wholly owned electric generating company of the State Government, set up an under-taking, namely, Feroz Gandhi Unchahar Thermal Power Project with a total approved capacity of generating 840 MW of electricity;

AND, WHEREAS the said undertaking has not been able, due to financial constraint, to operate continuously at its optimum capacity, resulting loss in generation of electricity;

AND, WHEREAS the said Nigam or the State Government is not in a position to provide additional funds necessary to achieve the optimum production;

AND, WHEREAS with a view to continuing and augmenting the generation of the electricity and to bringing the said undertaking into full operation and to commencing activities regarding its extension, project, it is necessary in the public interest to acquire the said undertaking and to transfer it to the National Thermal Power Corporation Ltd. ; Now, THEREFORE, It is hereby enacted in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I
Preliminary

Short title and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Acquisition and transfer of Undertaking) Act, 1992.

(2) Sections 2 to 16 shall be deemed to have come into force on February 13, 1992 and the remaining provisions shall come into force at once.

Definitions

In this Act,-

(a) "appointed day" means the date of commencement of this Act;

(b) "Board" means the Uttar Pradesh State Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 ;

(c) "Commissioner" means the Commissioner appointed under section 12;

(d) "Corporation" means the National Thermal Power Corporation Ltd., a Government company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at New Delhi;

(e) "Nigam" means the Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. a Government company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at Lucknow ;

(f) "Undertaking" means the Feroz Gandhi Unchahar Thermal Power Project of the Nigam situated at Unchahar in district Rae Bareli ;

(g) words and expression used but not defined in this Act and defined in the Companies Act, 1956 shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

[The U. P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Acquisition and transfer of Undertaking) Act, 1992]
[Section 3-6]

CHAPTER-II

Acquisition and Transfer of Undertaking of the Nigam

Transfer to and the vesting in the transferred State Government of the Under taking

3- On the appointed day, the Undertaking and the right, title and interest of Nigam in relation to the Undertaking, shall, by virtue of this Act, stand to, and shall vest, in the State Government.

General effect vesting and and of the books of but not rights,

(1) The Undertaking shall be deemed to include, all properties and assets, of rights, leaseholds, powers, authorities and privileges and all property movable immovable including lands, buildings, offices, stores, plants, machinery and equipment, installations, instruments, office furniture, stationary and office equipments, vehicles, staff quarters, workers' colonies together with amenities installations pertaining thereto, and other rights and interests in, or arising out such properties and assets as were immediately before the appointed day in ownership, possession, power and control of the Nigam in relation to the Undertaking, whether within or outside the State of Uttar Pradesh, and all accounts, registers and other documents of whatever nature relating thereto, to include cash in hand, cash at bank, investments, book debts (other than outstanding advances for procurement of materials for the undertaking) or liabilities and obligations respecting any other contract.

(2) If on the appointed day, any suit, appeal or other proceeding of whatever nature in relation to any property or assets which has vested in the State Government under section 3, instituted or preferred by or against the Nigam in relation to the undertaking, is pending, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the Under- taking or of anything contained in this Act, but the suit, appeal or other proceeding may be continued, prosecuted or enforced by or against the State Government or where the Undertaking vests in the Corporation under section 5, by or against the Corporation.

Vesting of the such undertaking in the Corporation

5- The Undertaking vested in the State Government under section 3 shall, on date as may be notified by the State Government in this behalf, vest in the Corporation and there after the Corporation shall become the owner of the Undertaking:

Provided that no such notification shall be made unless a resolution passed by the Corporation for the purpose is communicated to the State Government.

State Govern- to ment or the order Corporation passed after not to be liable before for prior Corporation. liabilities of account of

6- (1) Except as provided in sub-section (2) no liability of the Nigam in relation the undertaking incurred prior to the appointed day and no award decree or of any court, tribunal or other authority in relation to the undertaking, the appointed day, in respect of any matter, claim or dispute which arose that day, shall be enforceable against the State Government or the

(2) The liability of the Nigam to the Central Electricity Authority to the tune approximately two crore rupees on account of consultancy and to the Power Finance Corporation to the tune of approximately four crore rupees on construction of the undertaking shall, on vesting of the Undertaking in the

State Government under section 3, be of the State Government and on its vesting in the Corporation under section 5, of the Corporation :

Provided that such liability of the Corporation in aforesaid accounts shall, in no case exceed two crore rupees and four crore rupees respectively.

[The U. P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Acquisition and transfer of Undertaking) Act, 1992] [Section 7-10]

CHAPTER-III

Payment of Amounts

Payment of amount by the State Government

7- For the transfer to, and vesting in, the State Government under section 3, the Undertaking and the right, title and interest of the Nigam in relation to the Undertaking, there shall be given by the State Government to the Nigam such amount as may be determined in the manner specified in Chapter VI.

Payment of amount by Corporation

8- (1) For the transfer to, and vesting in the Corporation under section 5, of the Undertaking and the right, title and interest of the State Government in relation to the Undertaking, there shall be paid by the Corporation to the State Government, such amount and in such manner, as is specified in the Schedule.

(2) The State Government may after consultation with the Corporation by notification, make suitable changes in the amount and the manner of payment specified in the Schedule, and on publication of the notification in the gazette, the Schedule shall stand amended accordingly.

CHAPTER IV

Delivery of possession

Duty of persons to account for assets etc, in their possession

9- (1) Any person who has, on the appointed day, in his possession or under his control, any assets, books, documents or other papers relating to the Undertaking which has vested in the State Government or the Corporation under this Act, shall be liable to account for the said assets, books, documents and other papers to the State Government, or as the case may be, to the Corporation and shall deliver them up to the State Government or the Corporation or to such person or persons as the State Government or the Corporation may specify in this behalf.

(2) The State Government, or as the case may be, the Corporation, may take or cause to be taken all necessary steps for securing possession of the Undertaking which has vested in the State Government or the Corporation under this Act.

(3) The Nigam shall, within such period as the State Government may allow in this behalf, furnish to the State Government a complete inventory of all its properties and assets, as on the appointed day, pertaining to the Undertaking which has vested in the State Government under section 3, and for this purposes the State Government or the Corporation shall afford to the Nigam all reasonable facilities.

CHAPTER-V

Provisions relating to Employees of the Nigam

Absorption of employees

10- (1) Subject to the provisions of sub-section (2) every person who has been, immediately before the appointed day, a regular employee of the Nigam,-

(a) shall on and from the appointed day, be deemed to be on deputation with the State Government on the same terms and conditions,

(b) on the vesting of the Undertaking in the Corporation under section 5, shall become an employees of the Corporation on and from the date of such vesting, and shall hold office or service under the Corporation. on the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to retirement benefits and other matters as would have been applicable to him immediately before such vesting, till his employment under the Corporation, is duly terminated or until his remuneration and other conditions of service are duly altered by the Corporation, not to his disadvantage.

[The U. P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Acquisition and transfer of Undertaking) Act, 1992] [Section 11-13]

(2) A person referred to in sub-section (1) may, within three months from the date of vesting of the Undertaking in the Corporation, communicate to the Corporation his option not to be absorbed in the service of the Corporation failing which he shall be deemed to have opted for absorption in the service of the Corporation.

(3) The services of an employee who opts against absorption shall stand terminated and he shall without prejudice to his claim to any leave, pension, provident fund or gratuity which he would have been entitled to, be entitled to, receive as compensation from the Corporation, an amount equal to,---

(a) three months salary, if he was a permanent employee,

(b) one month's salary, if he was a temporary employee.

Explanation: For the purposes of this sub-section, the term 'salary' includes dearness allowance; personal pay and special pay, if any.

(4) Any person who was serving the Nigam on deputation from the Board or any other organization immediately before the vesting of the Undertaking in the State Government shall on such vesting be deemed to be on deputation with the State Government on the same terms and conditions until he is reverted to his parent organization.

(5) Any person who was serving the State Government on deputation under the provisions of sub-section (4) immediately before the vesting of the Undertaking in the Corporation, shall on such vesting be deemed to be on deputation with the Corporation on the same terms arid conditions until he is reverted to his parent organization or absorbed in the service of the Corporation.

(6) Notwithstanding anything contained in the Industrial Dispute Act, 1947, or in any other law for the time being in force, the transfer of the services of any employee of the Nigam to the Corporation shall not entitle him to any compensation under this Act or under any other law for the time being in force and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

Provident fund the and other funds standing the

11- Where the Nigam has established a provident fund or any other fund, for benefit of the persons employed by it, the moneys relatable to the employees whose services are transferred, by or under this Act, to the Corporation, on the appointed day, to the credit of such fund shall all the date of vesting of Undertaking in the Corporation stand transferred to the Corporation.

CHAPTER- VI

Determination of payment by State Government

Appointment of Commissioner Government payments. 12- (1) The State Government shall for the purposes of determining the amount payable to the Nigam for acquisition of the Undertaking by the State and for its disbursement, appoint, by notification, a Commissioner of

(2) The State Government may appoint such other persons as it think fit to assist the Commissioner.

Determination of amount 13- (1) The Commissioner shall, so far as may be within six months from the date of notification under section 12, determine the amount payable by the State Government to the Nigam for acquisition of the Undertaking.

(2) In determining such amount, the Commissioner shall take into consideration the value of all assets and properties, pertaining to the Under taking as have vested in the State Government under section 3, and such other matters as may be relevant for the purpose.

(3) The amount so determined shall be intimated by the Commissioner to the State Government, whereupon the State Government shall, after deducting the amount owed to it by the Nigam (except the contribution to share capital of the Nigam) make the balance amount available to the Nigam.

CHAPTER-VII

Miscellaneous

Protection of action taken in intended good faith 14- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, or any person, for anything, which is in good faith, done or to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Power to make the rules 15- The State Government may, by notification, make rules for carrying out purposes of this Act.

Power to remove affecting the difficulties removing the 16- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may; by a notified order make such provisions, not substance of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provision of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and saving 17- (1) The Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Acquisition and Transfer of Undertaking) Ordinance, 1992 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Schedule

(see section 6 and 8)

1-The amount payable by the corporation as referred to in section 8 shall be nine hundred and twenty-five crore rupees.

2- Such amount shall be paid in the following manner, namely:-

Rupees in crores, estimated approximately

(a) payment to Central Electricity Authority to clear in 2.00 full its dues against the Nigam on account of consultancy.

(b) payment to Power Finance Corporation Ltd. to 4.00 clear in full its dues against the Nigam on account of construction of the Undertaking.

(c) by adjustment of the outstanding dues of the 647.70 Corporation against the Board on account of sale of electricity as on November 30; 1991.

(d) by adjustment of the dues of the Corporation 200.00 against the Board on account of sale of electricity from December 1, 1991 to March 31,1992 over and above the Letter of Credit payments.

(e) balance by adjustment towards the outstanding dues 71.30 of the Corporation against the Board on account of surcharge (as on November 30, 1991) which is to the tune of approximately 241.43 crore rupees.

925.00

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण)

अधिनियम, 1992

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1992}

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राष्ट्रीय ऊर्जा विकास के हित में और विस्तार परियोजना से संबंधित कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए, जिला रायबरेली स्थित फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट नामक उपक्रम के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने की व्यवस्था करने के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन विद्युत् उत्पादन कम्पनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड ने, फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट नामक एक उपक्रम, जिसकी विद्युत् उत्पादन की कुल अनुमोदित क्षमता 840 मेगावाट है, स्थापित किया;

और चूंकि उक्त उपक्रम वित्तीय मजबूरियों के कारण अपनी अधिकतम क्षमता पर लगातार कार्य करने में असमर्थ रहा है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत् उत्पादन में हानि हुई है;

और, चूंकि उक्त निगम या राज्य सरकार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है;

और, चूंकि, विद्युत् उत्पादन जारी रखने और उसमें वृद्धि करने और उक्त उपक्रम को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिये और उसकी विस्तार परियोजना से सम्बन्धित कार्यों को प्रारम्भ करने के लिये उक्त उपक्रम को अर्जित करना और उसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अन्तरित करना लोकहित में आवश्यक है;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

अध्याय –एक

प्रारम्भिक

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 से 16 दिनांक 13 फरवरी, 1992 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2–– इस अधिनियम में,––– परिभाषायें

(क) ''नियत दिनांक'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है;

(ख) ''परिषद्'' का तात्पर्य विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से है;

(ग) ''आयुक्त'' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त आयुक्त से है;

(घ) ''कारपोरेशन'' का तात्पर्य नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थार्न्गत एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है;

(ङ) ''निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय लखनऊ में है;

(च) ''उपक्रम'' का तात्पर्य ऊंचाहार, जिला रायबरेली में, स्थित निगम के फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है;

(छ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके लिये दिए गए है।

अध्याय– दो

निगम के उपक्रम का अर्जन और अन्तरण

3–– नियत दिनांक को उपक्रम और उपक्रम के सम्बन्ध में निगम के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार को अन्तरति और उसमें निहित हो जायेंगे। निगम के उपक्रम का राज्य सरकार को अन्तरण और उसमें निहित किया जाना

4–– (1) उपक्रम के सबंध में यह समझा जायेगा कि उसमें ऐसी सभी संपत्तियां और परि–सम्पत्तियां अधिकार, पट्टा, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और समस्त जंगम और स्थावर, संपत्तियां जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कार्यालय, गोदाम, संयंत्र, मशीन और उपस्कर, प्रतिष्ठापन, यन्त्र, कार्यालय, फर्नीचर, लेखन–सामग्री और कार्यालय उपस्कर, वाहन, स्टाफ क्वार्टर, सुख सुविधाओं के साथ कर्मकारों की कालोनियां और उससे संबंधित प्रतिष्ठापन और ऐसी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के या उनसे उत्पन्न अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व उपक्रम के संबंध में निगम के स्वामित्व, कब्जा शक्ति और नियन्त्रण में, चाहे, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर हों, और उससे संबंधित समस्त लेखा बहियां, रजिस्टर और सभी प्रकार के अन्य दस्तावेज, सम्मिलित हैं, किन्तु उसमें नकद रोकड़, बैंक नकदी, निवेश, बही ऋण बुकडेट (उपक्रम के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए दिये गये अग्रिम की बकाया से भिन्न) या किसी अन्य संविदा से संबंधित या अधिकार , दायित्व और आभार सम्मिलित नहीं है। निहित किए जाने का सामान्य प्रभाव

(2) यदि नियत दिनांक को, ऐसी किसी संपत्ति या परिसंपत्तियों के संबंध में जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई है, किसी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो उपक्रम के सम्बन्ध में निगम द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित या प्रस्तुत की गई हो और जो लम्बित हो, वह उपशमित नहीं होगी, न रोकी जाएगी, न किसी तरह से उपक्रम के अन्तरण या इस अधिनियम में दी गई किस बात के कारण

प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, बल्कि वाद, अपील या अन्य कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध या जहां उपक्रम धारा 5 के अधीन कारपोरेशन में निहित हो, वहां कारपोरेशन द्वारा उसके विरूद्ध, चालू रखी जा सकती है, चलाई जा सकती है या प्रवृत्त की जा सकती है।

5–– धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित उपक्रम ऐसे दिनांक को, जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, कारपोरेशन में निहित होगा और तत्पश्चात् कारपोरेशन उपक्रम का स्वामी हो जाएगा : उपक्रम का कारपोरेशन में निहित किया जाना

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना तब तक नहीं की जाएगी जब तक इस प्रयोजन के लिये कारपोरेशन द्वारा पारित संकल्प की संसूचना राज्य सरकार को न दे दी जाय।

6–– (1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, नियत दिनांक के पूर्व उपक्रम के संबंध में उपगत निगम का कोई दायित्व और नियत दिनांक के पूर्व उत्पन्न किसी भी मामले, दावा या वाद के संबंध में उस दिनांक के पश्चात् पारित किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश राज्य सरकार या कारपोरेशन के विरूद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा। राज्य सरकार या कारपोरेशन पूर्व दायित्वों के लिये दायी नहीं होगा

(2) निगम का परामर्श के मद्दे लगभग दो करोड़ रूपये केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के प्रति और उपक्रम के निर्माण के मद्दे लगभग चार करोड़ रूपये पावर फाइनेन्स कारपोरेशन के प्रति, दायित्व, धारा 3 के अधीन उपक्रम के राज्य सरकार में निहित होने पर राज्य सरकार का, और उसके धारा 5 के अधीन कारपोरेशन में निहित होने, पर कारपोरेशन का दायित्व होगा :

परन्तु उपर्युक्त मदों में कारपोरेशन का ऐसा दायित्व किसी भी दशा में क्रमशः दो करोड़ रूपये और चार करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगा।

{उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1992} {धारा 7–10}

अध्याय –तीन

धनराशियों का भुगतान

7–– धारा 3 के अधीन उपक्रम और उपक्रम के संबंध में निगम के अधिकार, हक और हित का राज्य सरकार को उन्तरण और उसमें निहित होने के लिए, राज्य सरकार द्वारा निगम को ऐसी धनराशि दी जाएगी, जो अध्याय ''छः'' में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित की जाय। राज्य सरकार द्वारा धनराशि का भुगतान

8–– (1) धारा 5 के अधीन उपक्रम और उपक्रम के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार हक और हित का, कारपोरेशन को अन्तरण और उसमें निहित होने के प्रतिफल के लिये, कारपोरेशन द्वारा राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से भुगतान किया जायेगा जैसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। कारपोरेशन द्वारा धनराशि का भुगतान

(2) राज्य सरकार कारपोरेशन से मंत्रणा करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट धनराशि और भुगतान की रीति में उपयुक्त परिवर्तन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी।

अध्याय– चार

कब्जे का दिया जाना

9–– (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास नियत दिनांक को उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन उपक्रम से संबंधित कोई परिसंपत्ति, वही दस्तावेज या अन्य कागजात हों, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या कारपोरेशन में निहित हो गई हो, उक्त परिसंपत्तियों, बहियों, दस्तावेजों और अन्य पत्रादि के लिये यथास्थिति, राज्य सरकार या कारपोरेशन के प्रति उत्तरदायी होगा और उन्हें राज्य सरकार या कारपोरेशन को या ऐसे व्यक्तियों का उनके कब्जे में परिसंपत्तियों आदि का लेखा–जोखा देने का कर्तव्य

व्यक्ति या व्यक्तियों को जैसा राज्य सरकार या कारपोरेशन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे परिदत्त कर देगा।

(2) राज्य सरकार या यथास्थिति, कारपोरेशन, ऐसे उपक्रम का जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या कारपोरेशन में निहित हो गया है, कब्जा प्राप्त करने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है।

(3) निगम ऐसी अवधि के भीतर जैसी राज्य सरकार इस निमित्त अनुमति दे, राज्य सरकार को ऐसे उपक्रम की जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई है, ऐसी समस्त सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की जो नियत दिनांक को रही हो, पूर्ण सूची देगा और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या कारपोरेशन निगम को समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा।

अध्याय– पांच

निगम के कर्मचारियों से सम्बन्धित उपबन्ध

10–– (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो नियत कर्मचारियों का आमेलन
दिनांक से ठीक पूर्व निगम का नियमित कर्मचारी रहा हो,––

(क) नियत दिनांक को और उस दिनांक से उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा;

(ख) धारा 5 के अधीन उपक्रम के कारपोरेशन में निहित होने पर, ऐसे निहित होने के दिनांक को और उस दिनांक से कारपोरेशन का कर्मचारी हो जायेगा और वह उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, और सेवा–निवृति लाभ और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषधिकारों के साथ जो ऐसे निहित होने के ठीक पूर्व उस पर प्रयोज्य होते, कारपोरेशन के अधीन पद पर या सेवा में तब तक बना रहेगा जब तक कारपोरेशन के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय, या जब तक उसके पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों में कारपोरेशन द्वारा ऐसा परिवर्तन सम्यक् रूप से न कर दिया जाय जो उसके लिये अलाभकर न हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति कारपोरेशन में उपक्रम के निहित हो जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर कारपोरेशन की सेवा में आमेलित न किए जाने के अपने विकल्प को संसूचित कर सकता है, और ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि उसने कारपोरेशन की सेवा में आमेलित किये जाने के लिये विकल्प दे दिया है।

(3) ऐसे कर्मचारी की सेवायें जो आमेलन के विरूद्ध विकल्प देता है, समाप्त हो जायेगी और वह, ऐसी किसी छुटटी, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान के, जिसका वह हकदार हो, अपने दावे पर प्रतिकूल प्रभाव बिना निगम से,––

(क) तीन मास के वेतन, यदि वह स्थाई कर्मचारी था,

(ख) एक मास के वेतन, यदि वह अस्थाई कर्मचारी था,

के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद 'वेतन'' के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, भी है।

(4) ऐसे किसी व्यक्ति जो राज्य सरकार में उक्रम के निहित हो जोने के ठीक पूर्व परिषद् से या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर निगम की सेवा में था, ऐसे निहित हो जाने के दिनांक को उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा जब तक कि उसे उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तित न कर दिया जाए।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति को जो कारपोरेशन में उपक्रम के निहित होने के ठीक पूर्व उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की सेवा में था, ऐसे निहित हो जाने पर उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर समझा

जायेगा, जब तक कि उसे उसके मूल संगठन में प्रत्यावर्तित न कर दिया जाय या कारपोरेशन की सेवा में आमेलित न कर लिया जाय।

(6) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निगम के किसी कर्मचारी की सेवाओं के कारपोरेशन में अन्तरण हो जाने से वह इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

11—— जहां निगम ने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के लाभ के लिये भविष्य निधि या किसी अन्य निधि की स्थापना की है, वहां ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवायें इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कारपोरेशन को अन्तरित कर दी गई है, ये संबंधित धनराशि जो नियत दिनांक को ऐसी निधि के खाते में थी उपक्रम के कारपोरेशन में निहित होने के दिनांक को कारपोरेशन को अन्तररित हो जायगी। भविष्य निधि और अन्य निधियां

अध्याय — छः

राज्य सरकार द्वारा भुगतान का अवधारण

12—— (1) राज्य सरकार द्वारा उपक्रम के अर्जन के लिए निगम को देय धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और उसके संवितरण के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक भुगतान आयुक्त नियुक्त करेगी। आयुक्त की नियुक्ति

(2) राज्य सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

13—— (1) आयुक्त जहां तक हो सके, धारा 12 के अधीन अधिसूचना के दिनांक से छः मास के भीतर उपक्रम के अर्जन के लिये निगम को राज्य सरकार द्वारा देय धनराशि का अवधारण करेगा। धनराशि का अवधारण

{उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1992} {धारा 14—17}

(2) ऐसी धनराशि की अवधारण करने में आयुक्त उपक्रम से संबंधित ऐसी समस्त परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों के, जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई हों, मूल्य पर और ऐसे अन्य विषयों पर जो इस प्रयोजन के लिये सुसंगत हों, विचार करेगा।

(3) इस प्रकार अवधारित धनराशि को सूचना आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी, जिसके पश्चात् राज्य सरकार निगम द्वारा उसको देय धनराशि (निगम की अंशपूंजी में अंशदान के सिवाय), काटने के बाद शेष धनराशि निगम को उपलब्ध करा देंगी।

अध्याय — सात

प्रकीर्ण

14—— राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी। सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

15—— राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

16—— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के सार पर प्रभाव न डाले, और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1994 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

17–– (1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

{उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1992} {अनुसूची}

अनुसूची

(धारा 6 और 8 देखिए)

(1) धारा 8 में यथा निर्दिष्ट कारपोरेशन द्वारा देय धनराशि को नौ सौ पच्चीस करोड़ रूपये होगी।

(2) ऐसी धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात,–––

लगभग अनुमानित करोड़ रूपये में––

(क) परामर्श के मद्धे निगम के देयों का चुकता भुगतान करने 2.00 के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को,

(ख) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड को उपक्रम की 4.00 स्थापना के मद्धे निगम के देयों का चुकता भुगतान करने के लिए

(ग) विद्युत् के विक्रय मद्धे परिषद् के विरूद्ध कारपोरेशन के 647.70 बकाया देयों का जो 30 नवम्बर, 1991 को थे, समायोजिन करके

(घ) परिषद् के विरूद्ध 1 दिसम्बर, 1991 से 31 मार्च 1992 200.00 तक कारपोरेशन के विद्युत के विक्रय के मद्धे प्रत्यय पत्र संदायों के अतिरिक्त बकाया देयों का समायोजन करके

(ङ) परिषद् विरूद्ध अधिकार के मद्धे, जो 30 नवम्बर, 1991 को 71. 30 लगभग 241.43 करोड़ रूपये था, कारपोरेशन के बकाया देयों के प्रति समायोजन द्वारा अतिशेष

925.00